''भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की भूमिका एवं चुनावी सुधारों की आवश्यकता''

शोध की रूपरेखा

पी–एच.डी. (विधि) उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध छात्र

विजय कुमार

नामांकन सं0–IIMTU/2170240

शोध पर्यवेक्षक

डॉ. आशुतेष आनंद

असिस्टेंट प्रोफेसर

कॉलेज ऑफ लॉ

आई.आई.एम.टी. विश्वविद्यालय

गंगा नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250001

2022

परिचय : (Introduction)

वर्तमान अध्ययन में भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुधार सुनिश्चित करने में चुनाव आयोग की भूमिका के बारे में बताया गया है। प्रमुख मुद्दों पर जानबूझकर विचार करने में विधायिका की विफलता, भारत में चुनावी सुधार, भारत में चुनाव का इतिहास और संदर्भ, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रभाव का विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य, अनिवार्य मतदान की संभावना, विशेष रूप से राजनीति में अपराधीकरण आदि पर एक संक्षिप्त चित्रमाला, प्राधिकरण, धन शक्ति और बाहुबल के दुरुपयोग के बारे में है, इसके अलावा प्रस्ताव में भारत में चुनावी सुधार शामिल हैं। उसी में परिवर्तन पर चर्चा की गई है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुरुआत, मतदान की आयु कम करना, देश में एक साथ चुनाव कराने में चुनाव आयोग की प्रतिनियुक्ति शामिल है। चुनाव आयोग की शक्ति प्रस्ताव में उपरोक्त पंक्तियों के साथ है इसके अलावा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की पद्धति इसका एक हिस्सा है। नियमित अंतराल पर होने वाले चुनाव, यानी हर पांच साल के बाद हमारे लोकतांत्रिक ढांचे का हिस्सा बनते हैं। अगला भाग राजनीति में अपराधीकरण से संबंधित है जिससे एक अनुचित चुनाव होता है। राजनीति में अपराधीकरण के कुछ उदाहरण इसे जोड़ते हैं। इस प्रस्ताव में चुनाव जीतने के लिए धनबल के इस्तेमाल पर भी चर्चा की गई है। अगले भाग में चुनाव आयोग के समक्ष आने वाले मुद्दों और चुनौतियों की गणना की गई है। इसमें पहले से ही सरकार के प्रतिनिधियों के रूप में अपने पदों पर बैठे राजनेताओं के खिलाफ आपराधिक आरोप भी शामिल हैं। एक संक्षिप्त मूल्यांकन के अंत में वर्तमान स्थिति पर चर्चा की जाती है। यह हमारे राजनीतिक ढांचे की विफलता के साथ–साथ एक विचारोत्तेजक दृष्टिकोण और वर्तमान प्रणाली में और अधिक चुनावी सुधार लाने की आवश्यकता पर जोर देता है।

साहित्य समीक्षा :– (Literature Review)

अनुसंधान विषय का बैक ग्राउंड भारत के संविधान और वैधानिक चुनाव, कानूनी ढांचे में चुनावी तंत्र का एक विस्तृत समूह है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। 1951–52 से संविधान और भारत के चुनाव आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार नियमित अंतराल पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते रहे हैं। भारत के संविधान ने भारत में चुनाव आयोग में प्रत्येक राज्य के संसद और विधानमंडल और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनावों के संचालन के लिए पूरी प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित किया है। चुनाव संवैधानिक प्रावधानों और संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। प्रमुख कानून लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 है, जो मुख्य रूप से चुनाव के संचालन और चुनाव के बाद के विवादों के सभी पहलुओं के साथ मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन से संबंधित है।

राजनीति में अपराधीकरण ने एक कमजोर चुनावी व्यवस्था में योगदान दिया है। जो प्रतिनिधि चुनाव के लिए खड़े होते हैं, उनके खिलाफ विभिन्न आपराधिक आरोप भी होते हैं। आम आदमी की नजर से यह एक जाना–पहचाना नजरिया है कि ये राजनेता सीढ़ी चढ़ने के लिए आपराधिक तत्वों का सहारा लेते हैं। यह वास्तव में उन नागरिकों की पीड़ा का विषय है जो जाकर उन्हें वोट देते हैं। अगर वे वोट देते हैं तो यह उनका मौलिक अधिकार है, परन्तु ये राजनेता कुछ अपराधी हैं जो हमें अन्यायपूर्ण माहौल बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट में राजनेताओं का बायोडाटा होता है, जिसमें उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, उनके खिलाफ आरोप, यदि कोई हो, आदि का वर्णन होता है। यह हमारा मौलिक अधिकार है कि हम हर उस व्यक्ति के पूर्ववृत्त को जानें, जिसे हम वोट देते हैं। लेकिन बहुत

कम लोग ऐसे अधिकार का उपयोग करते हैं। इसका कारण लोगों में जागरूकता की कमी है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 किसी भी उम्मीदवार को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर अयोग्य घोषित करने का प्रावधान करती है। इसमें यह भी शामिल है कि उम्मीदवार को दोषसिद्धि की तारीख से छह अतिरिक्त वर्षों के लिए कोई भी चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। यह राजनीति में अपराधीकरण को नियंत्रित करने के लिए एक कठोर कदम को दर्शाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस पर सख्ती से अमल किया जा रहा है? क्या ऐसा इसलिए है कि हमारे पास भ्रष्ट मुक्त अधिकारी हैं? साथ ही, क्या वे अपनी पृष्ठभूमि की जांच के लिए इस तरह की परीक्षाओं की सहनशीलता को महसूस करते हैं? इन सभी का उत्तर 'नहीं' ही रहता है। इसका कारण राजनीति में धनबल का प्रयोग है।

भारत के चुनाव आयोग ने 27 मार्च, 2003 को सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 13 मार्च, 2003 के फैसले के अनुसरण में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में एक आदेश जारी किया, कि चुनावी कार्यालय मे उम्मीदवारों को एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा जिसमें उन्हें अपनी संपत्ति और देनदारियों का खुलासा करना होगा। भारत के चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट ''प्रस्तावित चुनावी सुधार 2004'' में यह उल्लेख किया है कि ''ऐसे कई मामले हैं जहां उम्मीदवारों पर मुख्य्र रूप से उनकी संपत्ति के बारे में अत्यधिक कम मूल्य वाली जानकारी देने का आरोप लगाया गया है''। यह देश को बदहाली की ओर ले जा रहा है। यह विकास की निशानी नहीं है। इसीलिए भारत को विकासशील देश कहा जाता है। इस रवैये के साथ, कि हम अपनी राजनीतिक व्यवस्था में अब तक देखते रहे हैं कि अपराध बढ़ेंगे और कुछ नहीं। यह सभी अवैध और निषिद्ध गतिविधियों के लिए भुगतान कर रहे हैं।

राजनीति में अपराधीकरण कोई नई घटना नहीं है। कई राजनेताओं पर आपराधिक और भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड के आरोप हैं, उनमें से कुछ निम्न हैं : प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल मुख्यमंत्री और पंजाब के उपमुख्यमंत्री क्रमशः, जो धोखाधड़ी के लिए आरोपित किए जा रहे थे, जिनके पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति थी। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण। 2012 के राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के लिए सांसद सुरेश कलमाड़ी। एम.के. 2जी स्पेक्ट्रम के लिए सांसद कनिमोझी। वाई.एस जगनमोहन रेड्डी, संसद सदस्य अपनी आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति जमा करने के लिए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा अवैध खनन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार इसके अलावा, बिहार में 2005 के चुनावों में हत्या, हत्या के प्रयास, रिश्वतखोरी और डकैती जैसे आपराधिक कृत्यों के आरोप में 358 उम्मीदवार शामिल थे।

इन चुनावों में काफी पैसा खर्च होता है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, डॉ. एस. वाई कुरैशी ने भ्रष्ट चुनावी प्रणाली की चुनौतियों पर NDTV समाचार के साथ बात की। उनका कहना है कि चुनाव भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत बन गए हैं क्योंकि इस तरह के चुनाव कराने में बहुत पैसा खर्च होता है और यह निर्धारित सीमा से परे है। जीतने वाले उम्मीदवारों में अपना पैसा वापस लेने की प्रवृत्ति होती है और वह भी ब्याज के साथ। यहीं से भ्रष्टाचार शुरू होता है। वह आगे कहते हैं कि यह प्रणाली में एक प्रतिस्पर्धी घटना बन गई है। अगर एक पार्टी ज्यादा पैसा खर्च करती है तो दूसरी पार्टी भी चुनाव में खड़े होकर पैसा पानी की तरह खर्च करती है। चाहे वह पैसा हो या अपराधी, दोनों प्रतिस्पर्धी हैं। उनके शब्दों में, यदि एक पक्ष द्वारा अपराधी को खड़ा किया जाता है तो दूसरे पक्ष को बहुत नुकसान होता है। उन्हें लगता है कि

उनके पास तब तक कोई मौका नहीं है जब तक कि उनके खिलाफ एक बड़ा दादा नहीं खड़ा कर दिया जाता।

अनुसंधान परियोजना को बढ़ावा देने वाले कारक (Factors Prompting Undertake the Research Project)

चुनाव जनता को यह विश्वास दिलाने के लिए आयोजित किए जाते हैं कि वे सरकार में भाग ले रहे हैं। भारत में चुनाव लोकसभा, राज्य सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए होते हैं जो विधानसभा है, विधान परिषद जिसे विधान परिषद के रूप में जाना जाता है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए भी। इसके अलावा, स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं, नगर निगमों और पंचायती राज संस्थानों के लिए भी चुनाव होते हैं।

भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) की स्थापना 1950 में भारत के संविधान के तहत की गई थी। भारत के संवैधानिक प्राधिकरण के चुनाव आयोग में मतदाता सूची तैयार करना और राष्ट्रीय संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों पर नियंत्रण रखना शामिल है।

भारत के संवैधानिक प्राधिकरण के चुनाव आयोग में राष्ट्रीय संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों और राज्य विधायी के चुनावों पर निर्वाचक नामावली तैयार करना और नियंत्रण का प्रयोग करना शामिल है।

भारत के चुनाव आयोग की भूमिका और कार्यों को भारत के संविधान में वर्णित नहीं किया गया है, लेकिन संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में निहित होने वाले चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग को भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का संरक्षक माना जाता है। प्रत्येक चुनाव में, यह स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता जारी करता है।

वयस्क मताधिकार, सीटों या निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, राजनीतिक दलों की मान्यता, उम्मीदवारों की अयोग्यता और चुनाव के संचालन के नियमों के कार्यान्वयन जैसे सुरक्षा जमा, शांतिपूर्ण प्रचार, मतगणना, चुनावी खर्च पर नियंत्रण और मतदान में कुप्रथा आदि हैं। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग के कंधे पर बुनियादी जिम्मेंदारी है।

भारत के चुनाव आयोग की कुछ महत्वपूर्ण शक्ति और कार्य नीचे संक्षेप में दिए गए हैं :–

1. अधीक्षक को शक्ति, अनुच्छेद 324(1) से निर्देश और नियंत्रण।
2. अनुच्छेद 324(3) से पुनर्मतदान आदेश देने की शक्ति।
3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से 1968 के क्रम में प्रतीकों के आवंटन की शक्ति।
4. दिग्विजय मोटर बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय से चुनाव स्थगित करने की शक्ति।
5. पंजीकृत सोसायटी बनाम यूओआई के मामले में निर्वाचन व्यय के संबंध में सूचना प्राप्त करने की शक्ति।
6. बजट और व्यय जारी करने की शक्ति।
7. उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने की शक्ति।
8. राजनीति का अपराधीकरण घोषित करने की शक्ति।
9. आदर्श आचार संहिता।
10. राजनीति में अपराधीकरण की जाँच करना।

11. चुनावों में ईवीएम और नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) की शुरुआत के रूप में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का उपयोग।

12. चुनाव खर्च को सीमित करना।

उद्देश्य/अध्ययन की आवश्यकता (Objectives /Need of the Study)

शोध कार्य के उद्देश्य और अध्ययन की आवश्यकताए निम्नलिखित हैं :–

1. दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशों द्वारा किए गए चुनावी सुधारों के नवीनतम उपायों का अध्ययन करना।

2. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और भारत में चुनावी सुधारों में इसकी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा पेश की गई संभावित चुनौतियों का अध्ययन करना।

3. चुनावों में सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग की भूमिका का अध्ययन करना।

4. चुनावों में कम मतदान के लिए एक कथित समाधान के रूप में अनिवार्य मतदान के लिए चुनाव आयोग की भूमिका का अध्ययन करना।

5. देश में होने वाले सभी मुख्य चुनावों को एक साथ कराने मे चुनाव आयोग की भूमिका का अधययन करना।

परिकल्पना (Hypothesis)

भारत के संवैधानिक ढांचे में स्वतंत्र चुनाव आयोग का एक असाधारण नियामक निकाय शामिल है जिसने कुल मिलाकर देश की अच्छी सेवा की है। भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए संभावित चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे कि धन बल, राजनीतिक दलों को दान, अभियान वित्त की समस्या, चुनावी अभद्र भाषा के कुछ रूप, उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता, प्रतीक का आवंटन,

योग्यता और चुनाव लड़ने के अधिकार पर अयोग्यता, ईवीएम मशीन हैक करने के आरोप और भारत में अनिवार्य मतदान को लागू करने की संभावना, देश में मुख्य चुनाव एक साथ कराने की संभावना। भारत के चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में माना जाता है। जिसने बदलते परिदृश्य के साथ आशाजनक तस्वीर दिखाई है, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि वह भारतीय लोकतंत्र के साथ–साथ अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए नए तंत्र और उपकरणों के साथ आए।

अध्ययन का दायरा (Scope of the Study)

भारत का चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार की संभावित चुनौतियों का सामना कर रहा है और भारतीय लोकतंत्र के साथ–साथ अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए बदलते परिदृश्य के साथ नए तंत्र और उपकरणों के साथ आना आवश्यक है।

भारतीय चुनाव प्रणाली की सार्वभौमिक प्रशंसा हुई है। भारत में जिस तरह से चुनाव हुए हैं, लोगों ने उसकी सराहना की है। लेकिन इसकी कुछ कमजोरियां भी हैं। यह देखा गया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के चुनाव आयोग के प्रयासों के बावजूद, हमारी चुनाव प्रणाली में कुछ कमियां हैं और भारत के चुनाव आयोग के समक्ष कुछ मुद्दे भी हैं।

चुनावों में बेहिसाब धन की भूमिका एक गंभीर समस्या बन गई है। राजनीतिक दल कंपनियों और व्यापारिक घरानों से धन एकत्र करते हैं, और फिर इस धन का उपयोग मतदाता को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रभावित करने के लिए करते हैं। व्यापार योगदान ज्यादातर नकद में होते हैं और बेहिसाब होते हैं। चुनाव के दौरान कई अन्य भ्रष्ट प्रथाओं को भी अपनाया जाता है जैसे कि रिश्वत देना, धांधली करना या मतदाता को डराना, प्रतिरूपण करना और मतदाताओं को मतदान

केंद्रों तक ले जाने और ले जाने की सुविधा प्रदान करना। चुनाव के दौरान अक्सर गरीब इलाकों में शराब बांटे जाने की खबरें आती रहती हैं. ये कुछ अवैध प्रथाएं हैं जो उम्मीदवार चुनाव के दौरान अपनी धन शक्ति के आधार पर करते हैं।

चुनावों में पैसे की प्रमुख भूमिका, जो नया और अपमानजनक रूप ले रही है, बेहद चिंताजनक है। 2009—2010 के चुनावों में राजनेताओं द्वारा समाचार कवरेज के लिए भुगतान करने और मतदाताओं को रिश्वत देने के उदाहरण व्यापक थे और यहां तक कि नोट घोटाले के लिए वोट भी धन बल के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक है। इन उदाहरणों को देखकर राजनीति वस्तु विनिमय प्रणाली का बाजार लगती है जो नोट के लिए वोट है।

नतीजतन चुनाव के दौरान हिंसा भी बढ़ गई है। हालाँकि ये गतिविधियाँ बहुत खुले तौर पर नहीं होती हैं लेकिन अभी भी चल रही हैं, कई छोटे शहर हैं जहाँ ये गतिविधियाँ चुनाव से पहले और बाद में भी होती हैं और इसका विरोध करने वाला कोई नहीं है। आम तौर पर उम्मीदवारों को राजनीतिक दलों द्वारा इस विचार पर टिकट दिया जाता है कि क्या उम्मीदवार संख्यात्मक रूप से बड़ी जातियों और समुदायों का समर्थन हासिल कर सकता है और उसके पास पर्याप्त संसाधन हैं। यहां तक कि मतदाता भी जाति और सांप्रदायिक आधार पर वोट करते हैं। प्रचार अभियान के समय मतदाताओं की सांप्रदायिक निष्ठा का उपयोग किया जाता है।

जाति और धर्म की वोटिंग की यह व्यवस्था विभिन्न चुनाव अभियानों के दौरान दिखाई दी जब उम्मीदवार एक धर्म के पक्ष में भाषण देते थे। हालिया उदाहरणों में से एक चुनाव प्रचार के दौरान वरुण गांधी का मलमल के प्रति घृणास्पद भाषण है। संसाधनों तक पहुंच के संबंध में सभी राजनीतिक दलों के पास समान अवसर नहीं हैं। सत्ता में दल विपक्षी दलों की तुलना में हमेशा लाभप्रद स्थिति में होता है। व्यापक

आरोप है कि सत्ता में पार्टी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करती है। इन सभी विशेषताओं के कारण हिंसा, बूथ कैप्चरिंग, फर्जी मतदान में धांधली, मतपत्रों को जबरन हटाना, वाहनों को जलाना आदि होता है, जिसके परिणामस्वरूप चुनाव में जनता का विश्वास कम होता है। निर्वाचकों में कमजोर और कमजोर वर्गों को जबरन मतदान करने से मना किया जाता है या उनकी स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध मतदान कराया जाता है। कई अपात्र मतदाता निर्वाचक नामावली में मृत और स्थानांतरित मतदाताओं की तरह जगह पाते हैं और कभी–कभी कई गैर–नागरिक भी मतदाता सूची में जगह पाते हैं। यहां तक कि हमें मतदाता सूची में दोहराव और दोहराव भी मिला।

कभी–कभी मतदाताओं के नाम, उनके पिता/माता/पति (जैसा भी मामला हो), जन्म तिथि, पता आदि की वर्तनी में गलती होती है। नामों की वर्तनी में गलतियां, जन्म तिथि/आयु की रिकॉर्डिंग और जहां तक मतदाताओं का संबंध है, पतों की सही रिकॉर्डिंग कुछ प्रमुख अड़चनें हैं। एक भाषा में मतदाता का नाम लिखने और फिर उसे दूसरी (अंग्रेजी, हिंदी या किसी क्षेत्रीय भाषा) में लिप्यंतरण करने की पुरानी तकनीकों के कारण, व्यक्तियों के नाम या उनके पते की सही वर्तनी में बार–बार समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। इससे मतदाता सूची की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है।

भारत में मतदाता सूची के प्रबंधन से जुड़ी एक और चुनौती है, प्रत्येक मतदाता के मतदाता के विवरण के साथ सही तस्वीर का मिलान करना, जिसका नाम सूची में जगह पाता है। यहां फिर से, मतदाताओं के विवरण और उनकी तस्वीरों को अलग–अलग रखने की पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करने के कारण, तस्वीरों में बेमेल होने की सूचना अक्सर दी जाती थी। उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है जिससे पारदर्शिता भी कम हो जाती है। नागरिकों के पास

एप्लिकेशन को ट्रैक करने का कोई तरीका नहीं है या ट्रैकिंग एप्लिकेशन की कोई प्रभावी निगरानी नहीं है, यहां तक कि भारत के अधिकांश लोग या नागरिक आवेदन को ट्रैक करने के अपने अधिकार से अनजान हैं, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या वे आवेदन को ट्रैक करने के लिए कह सकते हैं।

प्रस्तावित अनुसंधान पद्धति (Proposed Research Methodology)

प्रस्तावित अध्ययन मुख्यतः सैद्धान्तिक विधियों पर आधारित होगा। इन विधियों के अतिरिक्त अध्ययन की आवश्यकता के अनुसार कोई अन्य विधि भी लागू की जाएगी। जहाँ वस्तुएँ परिचयात्मक और वेधशाला की प्रकृति की हों, वहाँ लागू करने की विधि वर्णनात्मक होगी। कानूनी प्रावधानों के विश्लेषण के संबंध में, मामला कानून और अन्य कानूनी दस्तावेज, लागू करने की विधि विश्लेषणात्मक होगी। समस्या का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न कानून पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, कानूनी पत्रिकाओं, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मामलों से प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों से अध्ययन सामग्री एकत्र की जाएगी।

यहाँ जांच मुख्य रूप से जर्नल लेखों, चुनाव आयोग के डेटा, केस लॉ, विभिन्न लोकतांत्रिक देशों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों, संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेजों और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से संबंधित अन्य सामग्रियों पर आधारित होगी। ऐसे मामले में, लागू की जाने वाली विधि सैद्धांतिक होगी। कानूनी व्याख्या और कानूनी तर्क के सिद्धांतों का उपयोग शोधकर्ता द्वारा भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संवैधानिक जनादेश और वैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के चुनाव आयोग की भूमिका और कार्य का विश्लेषण करने के लिए भी किया जाता है।

संभावित अध्याय योजना (Tentative Chapter Scheme)

1. प्रस्तावना
2. भारत में चुनाव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
3. भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए न्यायिक प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया।
4. स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव में भारतीय चुनाव आयोग की भूमिका, मुद्‌दे एवं चुनौतियाँ।
5. प्रमुख लोकतांत्रिक देशों द्वारा किए गए चुनावी सुधार।
6. निष्कर्ष और सुझाव।
7. संदर्भ ग्रंथ सूची।

संदर्भ ग्रंथ सूची (References/Bibliography)

अ. किताबें, मोनोग्राफ, रिपोर्ट और दस्तावेज़ (Books, monographs, reports, and documents)

1. अग्रवाल एस पी और जे सी अग्रवाल, लोकसभा और विधानसभा चुनाव 1989– 1990 (नई दिल्ली : अवधारणा प्रकाशन, 1990)
2. अलेक्जेंडर हर्बर्ट ई और मोनिका बाउर, 1988 के चुनाव का वित्तपोषण (बोल्डर, सीओरू वेस्टव्यू प्रेस, 1991)
3. ऑस्टिन ग्रानविल, भारतीय संविधान का निर्बाध वेब (नई दिल्ली : राजीव गांधी समकालीन अध्ययन संस्थान, 1994)
4. अवस्थी प्रहलादराय एल, भारत के संवैधानिक लोकतंत्र का विश्लेषण करने के लिए शुरुआत, सत्य प्रबल श्रृंखला, अहमदाबाद, गुजरात, 1997। (मोनोग्राफ)
5. अवस्थी प्रहलादराय एल, एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य का धोखाधड़ी शासन सत्य प्रबल होता है श्रृंखला, अहमदाबाद, मई 1998। (मोनोग्राफ)
6. भाम्भरी सी.पी., भारत में राजनीतिक प्रक्रिया 1947 से 1991, (नई दिल्ली : विकास पब्लिशिंग हाउस, 1991)
7. बोगदानोर वर्नोन (सं.), लोगों के प्रतिनिधि? पश्चिमी लोकतंत्र में सांसद और संविधान (एल्डरशॉट, हंट्स : गॉवर पब्लिशिंग, 1985)
8. बर्न्स जेम्स एम, पेल्टसन जेडब्ल्यू और क्रोनिन थॉमस ई, राज्य और स्थानीय राजनीति : लोगों द्वारा सरकार (एंगलवुड क्लिफ्स, एनजेरू प्रेंटिस–हॉल, 1984)

9. बटलर डेविड, अशोक लाहिड़ी और प्रणय रॉय, भारत निर्णयरू चुनाव 1952–1991 (नई दिल्ली : लिविंग मीडिया, 1991)

10. भारत निर्वाचन आयोग, चुनाव कानून की नियमावली–6 जून 1997 को (नई दिल्ली : निर्वाचन सदन, 1997)

11. भारत निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता (नई दिल्ली : निर्वाचन सदन, 1991)

12. चुनाव आयोग, चुनाव में कुछ सामान्य चीजें खराब होती हैं–कोई भी नागरिक क्या कर सकता है? (नई दिल्ली : निर्वाचन सदन)

13. गडकरी एस.एस. भारत में चुनावी सुधार (नई दिल्ली : व्हीलर प्रकाशन, 1996)

14. हाइडेनहाइमर अर्नोल्ड जे, माइकल जॉनस्टन और विक्टर जे लेविन (संस्करण), राजनीतिक भ्रष्टाचाररू एक हैंडबुक (न्यू ब्रंसविक, एनजेरू ट्रांजेक्शन बुक्स, 1989)

ब. एन.सी.आर.डब्ल्यू. सी को जमा किए गए अन्य शोधपत्र (Other papers submitted to NCRWC)

1. दयाल केशव, चुनाव कानून और राजनीति का अपराधीकरण चुनावी सुधार पत्र एनसीआरडब्ल्यूसी, नई दिल्ली, 2000 को प्रस्तुत किया गया।

2. धारिया मोहन, चुनावी सुधार, एनसीआरडब्ल्यूसी, नई दिल्ली, 17 अप्रैल 2000 को पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. इंदिरेसन पी वी, रिफॉर्मिंग द इलेक्शन रिसर्च पेपर एन.सी.आर.डब्ल्यू.सी., नई दिल्ली, जुलाई 2000 को प्रस्तुत किया गया।

4. गोपालकृष्णन, एस, संविधान की समीक्षा पर संगोष्ठी, चेन्नई, एन.सी.आर.डब्ल्यू. सी. को प्रस्तुत परिणामों पर टिप्पणी, अगस्त 2000।

5. इकबाल मोहम्मद, 'चुनावी सुधार–स्थिर सरकार की ओर' शोध पत्र एनसीआरडब्ल्यूसी, नई दिल्ली, जून 2000 को प्रस्तुत किया गया।

6. काशीकर, एस.जी., भारतीय संविधान की समीक्षा, बालासाहेब देवरस फाउंडेशन, मुंबई, एनसीआरडब्ल्यूसी, 2000 को प्रस्तुत किया गया।

7. लोक सेवक संघ, 'भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए चुनावी सुधार' पेपर एन.सी.आर.डब्ल्यू.सी., नई दिल्ली को प्रस्तुत किया गया।

8. मुथम्मा सीबी, 'चुनावी सुधार'–एनसीआरडब्ल्यूसी, नई दिल्ली, जून 2000 को प्रस्तुत पत्र।

9. नारायण जयप्रकाश, चुनावी सुधार एनसीआरडब्ल्यूसी, नई दिल्ली, जून 2000 को प्रस्तुत एक चर्चा पत्र।

10. पवार, कर्ण सिंह, मतदाता की पहली पसंद, अप्रकाशित पांडुलिपि, धार, मध्य प्रदेश–एनसीआरडब्ल्यूसी, नई दिल्ली, जून 2000 को प्रस्तुत किया गया।

11. राजहंस जीएस चुनावी सुधार–एनसीआरडब्ल्यूसी को प्रस्तुत किया गया पेपर, अगस्त 2000

12. राव जी आर एस, द कॉन्स्टीट्यूशनल डेफिसिट–करेक्टिव्स टू इलेक्टोरल सिस्टम, पेपर एनसीआरडब्ल्यूसी को प्रस्तुत किया गया।

13. राव एस, रामचंद्र, 'नागरिकों के लिए जन संविधान–एक प्रस्ताव' हैदराबाद, ए. पी.,–एनसीआरडब्ल्यूसी, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया गया।

14. रेड्डी ई सदाशिव, 'इलेक्टोरल रिफॉर्म्स' रिसर्च पेपर (राजाजी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हैदराबाद), एन.सी.आर. डब्ल्यू.सी., जून, 2000 को प्रस्तुत किया गया।

15. रहमान, मोहम्मद हबीबुर, एन.सी.आर.डब्ल्यू.सी. को प्रस्तुत अभ्यावेदन, अगस्त 2000।

16. साहा टी के, 'नीड फॉर अ रिलुक एट द कॉस्मेटिक इलेक्शन लॉ रिफॉर्म्स' शोध पत्र एन.सी.आर.डब्ल्यू.सी. को प्रस्तुत किया गया, जून, 2000।

17. सिंह जग पाल, 'निर्वाचकों के कानूनी अधिकारों का कार्यान्वयन' शोध पत्र एनसीआरडब्ल्यूसी को जून 2000 को प्रस्तुत किया गया।

18. सिंह के. गजेंद्र, संविधान का कार्य–विचार के लिए कुछ सुझाव, एन.सी.आर. डब्ल्यू.सी. को प्रस्तुत, जुलाई 2000, चुनावी सुधारों पर टिप्पणी।

19. सिंह रतन, 'एंटी डिफेक्शन लॉ : ए नीड टू चेंज' शोध पत्र संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीआरडब्ल्यूसी), जून 2000 को प्रस्तुत किया गया।

20. शाक्य, जी.एल. चुनाव प्रणाली का आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एनसीआरडब्ल्यूसी को प्रस्तुत किया गया पेपर, अगस्त 2000।

21. शर्मा, जी., पॉइंट्स फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, एनसीआरडब्ल्यूसी को प्रस्तुत सुझाव, अगस्त 2000।